

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर  
नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 222/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बांकाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी उगराराम डूडी नगर रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।		1 पुखराज 2 लालाराम पिसरान आईदानराम 3 नेनूदेवी पत्नी आईदानराम जाति जाट निवासी उगराराम डूडी नगर रोहिली हाल निवासी राजीव नगर बाड़मेर शहर तहसील बाड़मेर 4 लिछमणाराम पुत्र सोनाराम 5 झमूदेवी पत्नी मगाराम 6 सोनाराम पुत्र गोरधनराम 7 विशनाराम 8 दमाराम पिसरान पन्नाराम जाति जाट निवासी उगराराम डूडी नगर रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर 9 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक औद्योगिक एरिया बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपरिस्थिति :-

- 1 श्री डालूराम गोदारा, वकील प्रार्थी।
- 2 श्री नीग्वाराम वेनिवाल, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 08।

आदेश

दिनांक.....11.08.2023

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि के आये हुए है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की पैतृक भूमि में बंटवाड़ा होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई जिसके कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को असुविधा हो रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि अवाप्त हो जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बाड़मेर आकर बस गये। अप्रार्थी संख्या 04 से 09 का स्थाई कब्जा वही पर है तथा विवादग्रस्त भूमि पर ही कब्जा काश्त है। उक्त गलत तरमीम का ज्ञान होने पर तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 455/75, 489/133, 490/133, 452/75, 487/133, 453/75, 454/75, 489/133 व 488/133 की भूमि में से डामर सड़क निकलने के कारण पटवारी हल्का ने सड़क निकलने हेतु पैमाईश की गई, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा देखकर पूर्व में की गई तरमीम गलत होने की जानकारी दी गई, जिस पर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के बीचो-बीच डामर सड़क निकलती है तथा

  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

उक्त भूमि के दोनों किनारों पर समान रूप से रकबा है। प्रार्थी का कब्जा काश्त नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार है तथा उक्तानुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।


आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 08 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि जो मूल खसरा संख्या 75 व 133 के विभाजित खसरे हैं जिसका विभाजन करते समय हल्का पटवारी ने कब्जे काश्त अनुसार विभाजन नहीं किया पटवारी हल्का द्वारा कब्जे के विपरित तरमीम कर दी गई, जिसे उभय पक्षकार के बीच मौके पर कब्जा काश्त में विवाद हो गया तथा सेढा-पड़ौसियों का भी तरमीम खसरे अनुसार मेल नहीं खाती है। लिहाजा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हिस्से के खसरान के अनुसार कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने हेतु उभय पक्ष सहमत है। अतः मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 व 2076-2079, खतौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031 तथा नक्शा तथा परिशिष्ट 'अ' का गंभीरता पूर्वक अवलोकन


*Handwritten signature*  
उप जज अधिकारी  
बाडमेर

किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दरतावेजों के मद्देनजर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा उगराराम झूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काशत अनुसार नहीं है जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया है। लिहाजा मौजा उगराराम झूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान मौके व कब्जा काशत अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा उगराराम झूडी नगर पटवार हल्का रोहिली तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 455/75 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490/133 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/75 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 489/133 रकबा 3.1727 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/75 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487/133 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453/75 रकबा 1.6996 हैक्टेयर व खसरा संख्या 488/133 रकबा 3.1565 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काशत अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण स्वयं मौके पर कब्जा काशत अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(समंदरसिंह माटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO), बाडमेर

आदेश आज दिनांक 11.08.2023 को सारे आम सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO), बाडमेर